तारीख हुक्म	
30-9-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 14-10-22 को पेश हों।
14-10-22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता को 15 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जो प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है, दौराने सेटलमेन्ट बन्दोबस्त अधिकारियो ने नये खसरे बनाते हुए प्रार्थीगण के पिता को 2 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि कम कर दी गई। प्रार्थी के खाते से कम की गई कृषि भूमि के नये नम्बर 91 दर्ज कर किस्म चरागाह दर्ज कर दी गई खसरा न. 91 में से 0.32 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है यदि अप्रार्थी सं. 2 ने जबरन बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। और निवेदन किया कि वाद का निर्णय होने तक अप्रार्थी स.2 को मौके व रिकार्ड मे यथास्थिति बनाये रखने पाबन्द किया जावे पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजो की खातेदारी में

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
की है अथवा नहीं इसका निर्णय वाद-पत्र में होना है दौराने वाद विवादित आराजी को निष्प्रभावी मानते हुए आवंटित कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती है. इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अत: दौराने वाद रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने न्यायहित में उचित प्रतीत होता है. अत: विवादित आराजी खसरा नं. 91 रकबा 1.16 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम येकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ की ता फैसला वाद मौके एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	